HAMIRPUR POLICE

थाना राठ **दिनांक 14.09.2023**

हत्या की घटना का आरोपी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 11.09.2023 को नई बस्ती जुगियाना कस्बा राठ की रहने वाली श्रीमती संगीता देवी उम्री 40 वर्ष पत्नी हरिश्चन्द्र अनुरागी की हत्या करने के सम्बंध में मृतका के पुत्र अंशुल अनुरागी द्वारा तहरीर दी गई कि उसके पिता हरिश्चन्द्र अनुरागी पुत्र भगवतीलाल ने उसकी माँ की हत्या कर दी है। जिसके आधार पर थाना राठ में मु0अ0सं0-467/23 धारा-302 आईपीसी बनाम हरिश्चन्द्र पंजीकृत किया गया। इस सामान्य पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना राठ पुलिस को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 14.09.2023 को थाना राठ पुलिस टीम द्वारा ग्राम औंता से हमीरपुर जाने वाली रोड पर गिरफ्तार किया गया।

आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि उसकी पत्नी दिल्ली में काम करती थी वह उसे मना करता था कि काम मत करों मेरे साथ रहो, आरोपी को शक था कि किसी व्यक्ति से नाजायज सम्बंध है जिसके कारण अक्सर दोनो के मध्य विवाद होता था। वह दिल्ली से बच्चो को लेकर आयी थी, मैं उसको मना कर रहा था कि तुमको अब दिल्ली नहीं जाना है परन्तु वह नहीं मानी तभी मुझे गुस्सा आ गया उस समय घर मे कोई नहीं था बच्चे स्कूल चले गए थे, घर में किसी के न होने के कारण आरोपी ने उसका गला दबा कर, पहने हुए साड़ी से गले में फंदा कसकर उसकी हत्या कर दी और भाग गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्र0नि0 संजय कुमार सिंह	3.आ0 आशीष कुमार
2. आ0 डेगराज सिंह	4.आ0 रवीन्द्र प्रताप सिंह